असाधारण
EXTRAORDINARY

Daman 8th November, 2017, 17 Kartika, 1939 (Saka) सं. No. : 36

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,
New Delhi – 110 001

No. 23/NOT/ECI/FUNC/ERD-ER/2017 (Vol.II) **Dated : 23rd October, 2017**
1 Kartika, 1939 Saka

NOTIFICATION

Whereas, the Election Commission had announced the schedule for Special Summary Revision of electoral rolls in the UT of Daman and Diu with reference to 01.01.2018 as the qualifying date vide its letter No. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER 2017 (Vol.II) dated 23rd August, 2017; and

Whereas, the period of filing claims and objections was fixed from 18th September, 2017 to 17th October, 2017; and

Whereas, the draft rolls were published on 18th September, 2017 as scheduled; and

Whereas, the Election Commission has reviewed the ongoing exercise of Special Summary Revision of Electoral Rolls in the Union Territory; and

EXTRAORDINARY No. : 36	
DATED : 8^{TH} NOVEMBER, 2017.	

Whereas, the Election Commission has, on such review, decided that the period of filing claims and objections in the Union Territory should be extended up to 30^{th} November, 2017, so that a Special Verification Drive within the ongoing Summary Revision can be undertaken in which Booth Level Officers would visit house to house for the purpose;

Now, therefore, the Election Commission, in exercise of the powers conferred by the proviso to Rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, hereby extends the period for filing claims and objections in the Union Territory up to and including 30^{th} November, 2017 for ongoing Special Summary Revision of electoral rolls with reference to 01.01.2018 as the qualifying date.

By Order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
PRINCIPAL SECRETARY

⁂⁂⁂

EXTRAORDINARY No. : 36
DATED : 8TH NOVEMBER, 2017.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 23/अधि./ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर/2017 (खंड II)

दिनांक: 25 अक्तूबर, 2017
| कार्तिक, 1939 शक

अधिसूचना

यतः, निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र सं. 23/पत्र/अधि./ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर/2017 (खंड II) दिनांक 23 अगस्त, 2017 के जरिए 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र, दमन और दीव में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची की घोषणा कर दी थी; और

यतः, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 18 सितम्बर, 2017 से 17 अक्टूबर, 2017 तक नियत की गई थी; और

यतः, प्रारूप नामावलियां यथा-निर्धारित 18 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित की गई थीं; और

यतः, निर्वाचन आयोग ने संघ राज्य क्षेत्र में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के चल रहे कार्य की समीक्षा की है; और

यतः, निर्वाचन आयोग ने, ऐसी समीक्षा करने पर, निर्णय लिया है कि दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 नवंबर, 2017 तक बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि चल रहे सार पुनरीक्षण के भीतर एक विशेष जाँच अभियान आरंभ किया जा सके जिसमें बूथ लेवल अधिकारी इस प्रयोजन के लिए घर-घर का दौरा करेंगे;

अब, इसलिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग द्वारा 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के चल रहे विशेष सार पुनरीक्षण के लिए संघ राज्य क्षेत्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 नवंबर, 2017 को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा इस तारीख तक बढ़ाई जाती है।

आदेश से,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
प्रधान सचिव

Government Printing Press, Daman - 11/2017 – 250.
[Price Rs. 2.00]